बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है श्री बीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत पैक्स निर्वाचन में अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–289 दिनांक–25.01.2017 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र (प्रत्रक–'क') गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री आनन्द कुमार सिन्हा, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा उनके पत्रांक–231 दिनांक–30.10.2015 द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, नालंदा (बिहारशरीफ) के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से 11 (ग्यारह) समितियों को राईस मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना हेतु चयन करने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र–'क') गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। साथ ही सहायक निबंधक (अ॰र॰), बिहार, पटना के पत्रांक–5173 दिनांक–02.06.2016 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध नियम विरूद्ध कार्य करने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र–'क') गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जिसके समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–289 दिनांक–25.01.2017 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही के गठित आरोप–पत्र के साथ इस आरोप को भी समाहित करते हुए समेकित रूप से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

4. तद्नुसार श्री कुमार के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र (प्रत्रक–'क') गठित किया गया है जिसे पूर्व के विभागीय संकल्प ज्ञापांक–289 दिनांक–25.01.2017 में गठित आरोप प्रपत्र–'क' के साथ जोड़ा जाता है।

5. संकल्प ज्ञापांक–289 दिनांक–25.01.2017 के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।

6. इस आदेश में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....
08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–712/2015

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना –सह– संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....
08/नि०को०(रा०)विभागीय–712/2015

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री आनन्द कुमार सिन्हा, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना –सह– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....
08/नि०को०(रा०)विभागीय–712/2015

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री बीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....
08/नि०को०(रा०)विभागीय–712/2015

प्रतिलिपि :– सहायक निबंधक (अ०र०), बिहार, पटना उनके पत्रांक–5173 दिनांक–02.06.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :1548/ पटना, दिनांक :11.5.2017
08/नि०को०(रा०)विभागीय–712/2015

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

11-5-17

11.5.17
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पूरक आरोप–पत्र

(प्रपत्र–'क')

1. आरोपित पदाधिकारी का नामः– श्री बीरेन्द्र कुमार
2. पदनाम :– तत्कालीन महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, नालंदा (बिहारशरीफ) एवं तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालंदा सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद।
3. वेतनमान/ग्रेड पे :– 15,600–39,100/– + ग्रेड पे–6600/–
4. समूह :– 'क'
5. जन्म तिथि :– 07.07.1969
6. सेवा निवृत्ति की तिथि :– 31.07.2029
7. आरोप/लांछन का अभिकथनः–

क्र॰ सं॰	आरोप	आरोप का विवरण	साक्ष्य
1	2	3	4
1.	आई॰सी॰डी॰पी॰, नालन्दा में अनाधिकृत रूप से 11 समितियों को राइस मील –सह– गैसीफायर की स्थापना हेतु चयनित कर दिया गया।	श्री बीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, नालंदा सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से निर्गत स्वीकृत्यादेश रा॰स॰वि॰नि॰ पत्रांक–185 दिनांक–25.08.2010 में विभिन्न दिशा–निदेश जिसके तहत 02 (दो) वर्ष तक कोई मद परिवर्त्तन/किसी भी प्रकार का राशि का Diversion नहीं करना था। परन्तु उनके द्वारा दिशा–निदेश के बाहर जाकर तीन वर्षों हेतु स्वीकृत राईस मील को एक वर्ष में ही 11 समितियों को एक ही दिन राईस मील –सह– गैसीफायर की स्थापना हेतु चयनित करते हुए राशि पत्रांक–726 दिनांक–17.10.2012 के द्वारा स्थानान्तरित समिति के विशेष बचत खाता में नहीं करते हुए बचत खाता में स्थानान्तरित एवं विमुक्ति एक ही दिन कर दिया गया। इस प्रकार कुल मो॰ 167.00 (लाख) (एक करोड़ सरसठ लाख) रूपये का राशि विचलन कर दिया गया।	1. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का पत्रांक–185 दिनांक–25.08.2010 2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का पत्रांक–86 दिनांक–20.01.2010 3. बिहार सरकार सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या–2157 दिनांक–06.05.2011 4. राज्य अनुश्रवण कोषांग, समेकित सहकारी विकास परियोजना, पटना के पत्रांक–425 दिनांक–15.12.2011 5. राज्य अनुश्रवण कोषांग, समेकित सहकारी विकास परियोजना, पटना के पत्रांक–252 दिनांक–04.10.2012 6. आई॰सी॰डी॰पी॰, नालंदा के पत्रांक–726 दिनांक–17.10.2012
2.	नियम विरूद्ध कार्य करना।	बेन मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहकारी समिति लि॰, बेन के निबंधन प्रमाण–पत्र दिनांक–14.06.05 तथा बेन प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि॰ के निबंधन प्रमाण–पत्र दिनांक–29.03.11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिहार स्वावलम्बी सहकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 के दिनांक–02.08.2010 के प्रभाव से प्रवृत्त होने के फलस्वरूप बेन मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहकारी समिति लि॰, बेन बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (यथासंशोधित) की धारा–11B के तहत दिनांक–02.08.	न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–326/RL दिनांक–22.04.2016

		2010 के प्रभाव से उक्त अधिनियम, 1935 के तहत डीम्ड निबंधित समिति हो गई है। जब उक्त आलोक में बेन मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहकारी समिति लि॰ डीम्ड हो गई थी, तो आपके पत्रांक–29 दिनांक–21.03.2011 के द्वारा उक्त समिति को काली सूची में डालने तथा समिति को विघटित करने की अनुशंसा सचिव, बिहार सहकारी अभिकरण, पटना से किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। जबकि विभागीय अधिसूचना संख्या–4138 दिनांक–23.07.2010, जो दिनांक–02.08.2010 से प्रवृत्त है, के पश्चात जब जिला सहकारिता पदाधिकारी को केवल प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी समिति के पुनर्गठन/संविलयन की ही शक्ति मात्र प्रदत्त है, न कि नई समिति के निबंधन का; तो आपके द्वारा बेन प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि॰ का निबंधन दिनांक–29.03.2011 को किया जाना एक विधिक कार्य नहीं है और तद्नुसार उक्त अनुक्रम में तदर्थ समिति का गठन, उक्त नवनिबंधित समिति का निर्वाचन दिनांक–29.06.2012 आदि भी स्वतः औचित्यहीन एवं अवैध हो गए हैं। उक्त अनियमितता के लिए निश्चित रूप से आप दोषी हैं। आपका उक्त कृत्य नियम विरूद्ध कार्य करने का द्योतक है।	

11-5-17

11-5-17

(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी),
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।